9. चैक के साथ जोखिम

लेखा-योग

अप्रैल-मई 2008

Accountaid™
Accounting for Aid. Aid in Accounting

इस अंक में

चालाकों की चाल • 1. चैक से छेड़छाड़ • पैसा निकलवाना pg1
वाहक चैक (Bearer) या आदाताखाता (Account payee) चैक? • 2. चैकों की चोरी • बहरूपिया डाक बाबू • कूरियर का जंजाल pg3
आप जो चैक भेजते हैं pg4

कुछ साल से चैकों का चलन बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसकी एक वजह यह है कि सरकार बैंकिंग आदतों को बढ़ावा देना चाहती है। इन्हीं बदलावों का परिणाम है कि अब भारत में सालाना तकरीबन 1.2 अरब[1] चैक भुनाए जाते हैं। अकेले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में ही हर रोज लगभग 6 लाख चैक भुनाए जा रहे हैं।

नकद लेन-देन की बजाए चैक का इस्तेमाल करने के कई फायदे हैं। अगर आप चैक का इस्तेमाल करते हैं तो जेब कटने या चोरी-डकैती की वजह से नुकसान होने का खतरा कम हो जाता है। दूसरा फायदा यह है कि चैक की व्यवस्था में तीसरे पक्ष का रिकॉर्ड खुद-ब-खुद दर्ज हो जाता है। इससे ऑडिट और कर आकलन में बड़ी आसानी हो जाती है।

फिर भी, चैक के इस्तेमाल में भी कुछ जोखिम तो हैं ही। लेखा-योग के इस संशोधित अंक में हम इन्हीं खतरों से निपटने के बारे में बात करेंगे।

चालाकों की चाल

चैक के जरिए लोग आपको किस-किस तरह से ठग सकते हैं? इसका एक तरीका तो यह है कि कोई आपके चैक में हेराफेरी कर दे। दूसरा तरीका यह है कि कोई आपका चैक ही उड़ा लें।

1. चैक से छेड़छाड

यह सबसे पुरानी चाल है। आप किसी को धारक (Bearer) चैक देते हैं। आप उसमें शब्दों और अंकों में रकम भर कर दस्तखत कर देते हैं।

इसके बाद चैक लेने वाला रकम के अंकों और शब्दों में हेर-फेर करता है और चैक भुना कर चंपत हो जाता है। मिसाल के तौर पर, आपने 7000 का चैक बनाया है। जरा सोच कर देखिए कि अगर चैक अंग्रेजी में भरा गया हो (और ज्यादातर लोग चैक अंग्रेजी में ही बनाते हैं) तो 7000 को 70000 करना कितना आसान है। बस एक शून्य और जोड़ दीजिए! इसके बाद आप शब्दों में लिखी रकम यानी Seven Thousand के Seven में "ty" जोड़कर उसे भी Seventy यानी सत्तर हजार बना देते हैं। बस हो गया काम!

इसी तरह, अगर आदाता खाता चैक (Account Payee Cheque यानी पाने वाले के खाते में देय चैक) गलत हाथों में पड़ जाता है तो वह व्यक्ति चैक पाने वाले के नाम में फेरबदल करके उसे भी अपने खाते में भुनवा सकता है।

इस तरह की चालबाजी काफी समय से चल रही है इसलिए बैंकों ने भी इसकी रोकथाम के कई रास्ते ढूंढ लिए हैं। इस समस्या से निपटने में आपको भी बैंक की मदद करनी चाहिए। आपके चैक से किसी तरह की छेड़छाड़ न हो सके इस बात को ध्यान में रखते हुए पेज 2 पर बने चित्र में कुछ तरीके सुझाए गए हैं।

पैसा निकलवाना

आईए अब ऊपर वाले उदाहरण पर वापस चलें। कायदे से आपने केवल 7000 रु. का चैक बनाया था। चैक लेने वाला 'Seven' की जगह 'Seventy' कर देता है और 7000 में एक और शून्य जोड़कर उसे 70000 बना देता है। यह फेरबदल बड़ी चालाकी[2] से की जाती है। अगर गौर से न देखा जाए तो इस गड़बड़ी को पकड़ना भी मुश्किल होता है। लिहाजा, बैंक ऐसे व्यक्ति को 70,000 रुपए अदा कर देता है। क्या आप 63,000 के इस नुकसान की भरपाई के लिए बैंक को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? जी नहीं। ये पैसे तो आपके गए!

---

[1] 1,20,00,00,000; 1.2 अरब। स्रोतः www.rediff.com एनसीआर कॉर्प के दक्षिण एशिया महाप्रबंधक श्री नवरोज दस्तूर का साक्षात्कार ('व्हाट इज चैक ट्रंकेशन ऑल अबाउट?'), 21 फरवरी 2008.

[2] गलती आपकी भी थी कि आपने वहां जगह छोड़ी हुई थी।

www.AccountAid.net

चैक को क्रॉस करना

- चैक के बाएं ऊपरी कोने पर इस जगह क्रॉस कर दें यानी दो लाइने इस तरह खींच दें।
- क्रॉस करने के लिए आप जो लकीर खींच रहे हैं वह चैक के रंगीन हिस्से में जरूर आनी चाहिए।

प्राप्त करने वाले का नाम

- व्यक्ति या कंपनी का पूरा नाम लिखें।
- यदि आप जानते हैं तो उस व्यक्ति/कम्पनी का बैंक खाता नम्बर और बैंक का नाम भी लिख दें।
- नाम के बाद कोई जगह खाली छूट रही है तो उस पर लाईन खींच कर उसे काट दें।
- हमेशा स्याही से लिखें (बॉल प्वाइंट या फाउंटेन पेन का इस्तेमाल करें)।

शब्दों में रकम

- आपने जो रकम भरी है यदि उसमें पैसों का भी जिक्र है तो पैसों को 'एवम् पैसे 67 मात्र' के रूप में लिखें।
- रकम के आखिर में 'मात्र' जरूर लिखें।
- रकम के बाद जो जगह खाली छूट जाती है उसे इस प्रकार काट दें।

धारक चैक

- अगर चैक बैंक में जमा होना है तो इन शब्दों को जरूर काट दें।
- अगर आप बैंक से नकद भुगतान चाहते है तो इन शब्दों को न काटें।
- अगर आप खुद अपने काम के लिए यानी सेल्फ के लिए धारक चैक बनाते हैं तो चैक के पिछली तरफ भी सोसायटी की मोहर लगाएं और उस पर दोबारा दस्तखत करें।

चैक की तारीख

- चैक इस तारीख के बाद केवल 6 महीने तक भुनाया जा सकता है।
- अगर चैक पर तारीख गलत है (जैसे 31 सितम्बर) तो बैंक उसे वापस लौटा सकता है।
- महीना शब्दों में लिखें (जैसे जनवरी या जून आदि)।

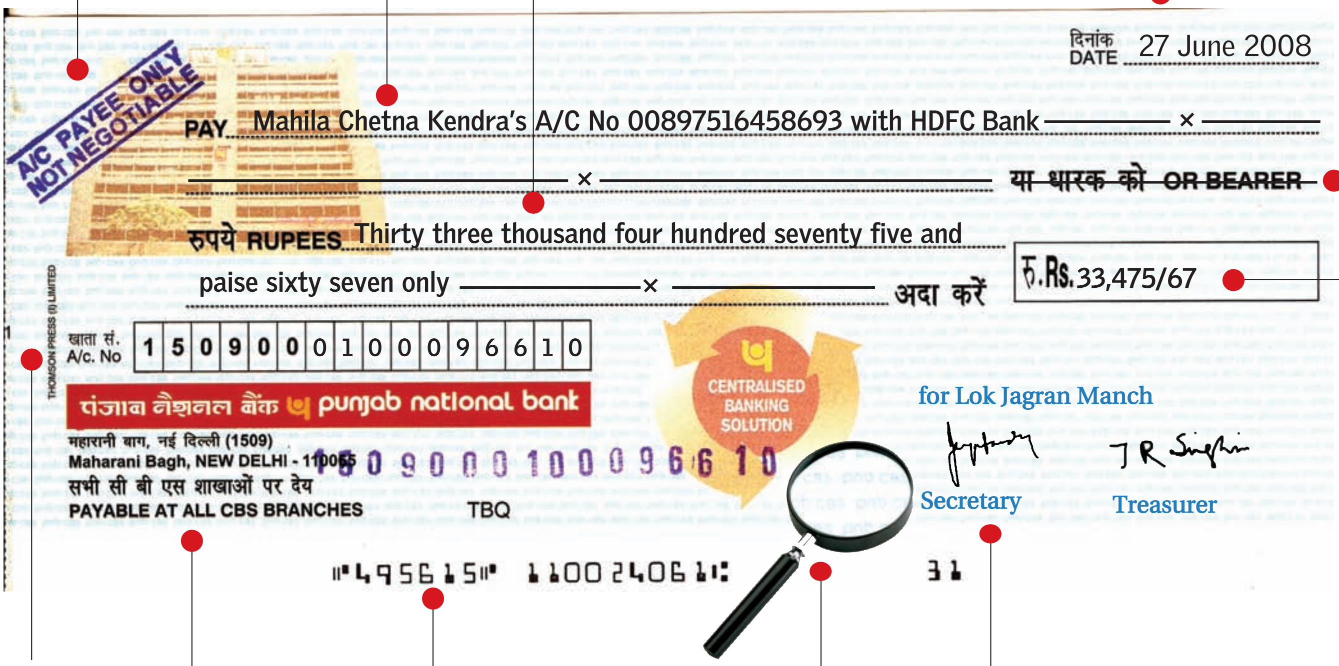

आपका बैंक खाता नम्बर यहां पर होगा।

बैंक का नाम

- यह चैक जारी करने वाले बैंक का नाम है।
- जब आप चैक जमा कराते हैं तो पे-इन-स्लिप (जमा पर्ची) पर आपको बैंक और उसकी शाखा का नाम भी देना होता है।

चैक नम्बर

- चैक जमा कराते हुए आपको जमा पर्ची (डिपॉजिट स्लिप) पर चैक नम्बर भी लिखना होता है।
- इस नम्बर के दोनों तरफ जो अजीबोगरीब आकृति होती है उस पर ध्यान न दें।

सुरक्षा छपाई

अगर आप चैक को लैंस (magnifying glass) से देखें तो उस पर इस तरह की बारीक छपाई दिखाई देती है। इससे भी गड़बड़ी रोकने में मदद मिलती है। अगर किसी लिखावट को मिटाने के लिए रबर या रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है तो उसके निशान इस छपाई पर भी आ जाते हैं या यह छपाई बदरंग हो जाती है जिसे पकड़ा जा सकता है।

चैक पर दस्तखत

- सोसायटी की मोहर जरूरी है।
- दस्तखत चैक के नीचे बनी सफेद पट्टी तक नहीं जाने चाहिए। दस्तखत रंगीन हिस्से पर ही रहने चाहिए।

अंकों में रकम

- 'रुपए' (Rs.) और पहले अंक के बीच फासला न छोड़ें। अगर चैक की रकम में पैसों का भी जिक्र है तो रुपए और पैसे को अलग-अलग दिखाने के लिए दोनों के बीच '/' की लकीर खींच दें (जैसे रुपए 33,475/67)।
- अगर रकम में पैसे नहीं हैं, केवल रुपए हैं तो आखिरी अंक के बाद '/=' बना दें (जैसे 33,475/=)
- दशमलव की जगह '/' का इस्तेमाल करें।
- हजार वाले अंकों के बाद कॉमा (,) लगाएं।

ऐसी सूरत में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स ऐक्ट की धारा 89 बैंक के पक्ष में दिखाई देती है। यहां बैंक को आपके नुकसान की भरपाई करना केवल तभी जरूरी है जब यह साबित कर दिया जाए कि लापरवाही बैंक ने ही की थी। मिसाल के तौर पर, हो सकता है चैक भुनाने आया व्यक्ति भिखारी जैसा लग रहा हो और फिर भी बैंक कर्मचारियों ने इतनी बड़ी रकम के बारे में उससे कोई सवाल न किया हो। या, हो सकता है बैंक के ही किसी कर्मचारी ने इस तरह की छेड़छाड़ की हो। श्री त्रिलोकी नाथ सूद ने यही किया था।

धारक चैक या आदाता खाता चैक?

1948 में बैंक ऑफ इंडिया ने एक आदमी को काउंटर पर 25,000 रुपए का भुगतान किया। यह धारक (bearer) चैक श्री कृष्ण बलदेव के नाम पर था। श्री बलदेव का कहना था कि उन्होंने पैसा नहीं लिया है। जिस प्रकाशन कंपनी ने उनके नाम पर चैक जारी किया था उसका कहना था कि उसने तो 'आदाता खाता चैक' ही जारी किया था। लेकिन चैक पर क्रॉसिंग तो थी ही नहीं ।

तफतीश करने पर सारा मामला खुल गया। यह चैक बैंक के चीफ एकाउंटेंट श्री त्रिलोकी नाथ सूद के पास दस्तखत के लिए गया था। उन्होंने देखा कि चैक में 'आदाता खाता' मोहर चैक की ऊपरी सफेद पट्टी पर थी और चैक के छपे हुए हिस्से को नहीं छू रही थी। श्री त्रिलोकी नाथ ने बेन्ज़ीन नामक रसायन से इस मोहर को मिटा दिया। लेकिन नीचे की छपाई पर असर नहीं पड़ा क्योंकि मोहर केवल सफेद पट्टी पर थी। उसके बाद उन्होंने चैक पर दस्तखत किए और पूरा पैसा नकद ले लिया। वह खुद बड़े अफसर थे इसलिए साथी कर्मचारियों ने भी उनसे कुछ नहीं पूछा। इस कारनामे के एवज में श्री सूद को सात साल जेल की हवा खानी पड़ी।

लिहाजा, चैक बनाते हुए इन सारी बातों का खयाल रखें ताकि कोई उसके साथ जरा सी भी छेड़छाड़ न कर सके।

2. चैक की चोरी

पुराने जमाने में जब कोई चैक साधारण डाक से भेजा जाता था तो कभी-कभार लोग उसे उड़ा भी लेते थे। इस तरह की एक घटना काफी दिलचस्प थी।

बहरूपिया डाक बाबू

बात 1976 की है जब पूरे मुल्क में एमरजेंसी लगी हुई थी। उसी समय ललित कुमार और राधेश्याम नाम के दो लोगों ने डाकिए की खाकी वर्दी पहनी और कुछ चुने हुए स्थानों पर रखे डाक डिब्बों से चिट्ठियां चुराने निकल पड़े। वे चिट्ठियां निकालते, उनको खोलते और जरूरी चीजें निकाल कर बाकी फेंक देते। इसी मुहिम में एक दिन ज्ञानपीठ संस्थान का चैक भी उनके हाथ पड़ गया। चैक पर बाकायदा दस्तखत मौजूद थे।

इसके बाद सबसे पहले उन्होंने मांग पर्ची (रिक्वीजेशन स्लिप) की बिल्कुल हूबहू नकल छापी। फिर उन्होंने नकली दस्तख्त करके सिंडीकेट बैंक से एक चैक बुक हथिया ली। इसके बाद उन्होंने ज्ञानपीठ संस्थान की ओर से धारक (bearer) चैक जारी करना शुरू कर दिए। 10 दिन के भीतर उन्होंने सत्तर हजार रुपए निकाल लिए। अगला चैक चालीस हजार रुपए का था। इस बार बैंक कर्मचारियों को शक हो गया और ठगों की चाल कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन बैंक को सत्तर हजार का चूना तो लग ही चुका था।

बाद में पता चला कि इन लोगों ने इसी तरह से कई दूसरे बैंकों से भी लाखों रुपए उड़ाए थे।

ये किसी और जमाने की बातें हैं। अब ज्यादातर लोग कूरियर की मदद लेना पसंद करते हैं। अब साधारण डाक का इस्तेमाल थोक डाक के लिए ही किया जाता है। लेकिन चैकों की चोरी आज भी जारी है। बल्कि कूरियर के बढ़ते इस्तेमाल ने इस समस्या को और भी गंभीर बना दिया है।

कूरियर का जंजाल

अनुभवों से पता चलता है कि अगर आप कूरियर के मार्फत पैसा (नकद) या कोई और कीमती चीज भेजते हैं तो संभव है आप उसे गंवा दें। सस्ती कूरियर सेवाओं के मामले में यह खतरा खूब रहता है। ये कम्पनियां देश के लगभग किसी भी भाग में कूरियर पहुंचाने के लिए तकरीबन 10-45 रुपए तक लेती हैं।

इस काम के लिए वे बहुत मामूली तनख्वाह पर लोगों को रखते हैं और कई छोटी-छोटी चालाकियां खेलते हैं। कई दूसरी कूरियर कंपनियों से भी उनके व्यवसायिक संबंध होते हैं। लिहाजा, इस बात का उन्हें ज्यादा पता नहीं होता कि कौन सा पैकेट किन-किन हाथों से गुजरने वाला है।

कई बार यह पता लगाने के लिए लिफाफों को स्कैन किया

accountable-subscribe@topica.com

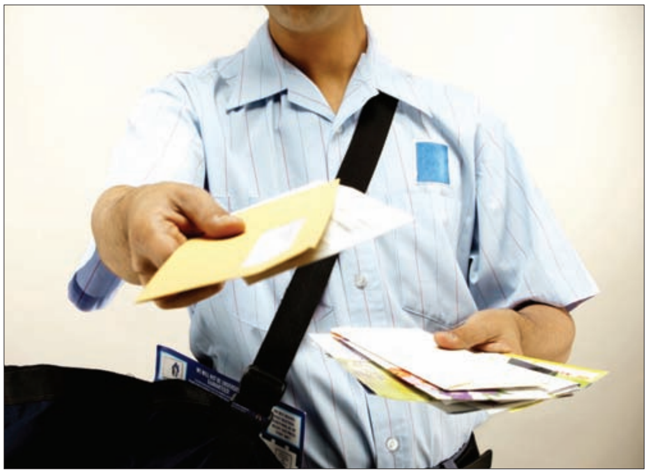

जाता है कि उनमें कागज के नोट या और कोई कीमती[3] चीज तो नहीं है। इसके बाद लिफाफे को काट कर पैसा या दूसरी चीजें निकाल ली जाती हैं। फिर कूरियर वाला लिफाफे को दोबारा स्टेपल करता है और सही पते पर पहुंचा देता है। अगर कूरियर पाने वाला इस बात को समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ हो चुकी है तो भी वह अपने माल को बरामद करने के लिए खास कुछ नहीं कर सकता।

आप जो चैक भेजते हैं

अगर आप साधारण डाक या स्थानीय कूरियर से चैक भेजते हैं तो उसके चोरी हो जाने का खतरा काफी ज्यादा है। इसीलिए डाक नियमावली में कहा गया है कि चैक केवल रजिस्टर्ड डाक से ही भेजना चाहिए।

मगर कई मर्तबा इससे भी बात नहीं बनती। एक दफे इंडो एड संस्था ने क्रॉस किया हुआ एक आदाता खाता ड्राफ्ट 'प्रकृति' नामक जन-सेवी संगठन (एनजीओ) के नाम रजिस्टर्ड डाक से भेजा। एक आरएमएस[4] स्टेशन पर इस लिफाफे को खोल कर ड्राफ्ट निकाल लिया गया। इसके बाद खाली लिफाफा प्रकृति को भेज दिया गया। खाली लिफाफा देख कर प्रकृति के एकाउंटेंट् ने इंडो एड के दफ्तर में फोन किया और उन्हें पूरी स्थिति बताई।

जब तक इंडो एड कुछ कार्रवाई शुरू करता, तब तक चोर आईडीएफसी में प्रकृति नामक महिला के नाम से खाता खुलवा कर और पैसे लेकर चंपत हो चुका था। सारा काम दो दिन में पूरा कर लिया गया।

यह तीन साल पहले की बात है (और इसमें पुलिस केस भी दर्ज किया जा चुका है) लेकिन पैसा अभी तक सही हाथों में नहीं पहुंचा है।

इस तरह की धांधली को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? क्या हमें पुराने जमाने की तरह झोलों में नोट लेकर घूमना चाहिए? लेखा-योग 12 में हम इसी सिलसिले में आपकी हिफाजत के लिए और चर्चा करेंगे।

---

[3] एक बार एक स्थानीय कूरियर वाले ने दिल्ली में 50-50 रुपए की 6 किताबों के पैकेट में से तीन किताबें चुरा लीं। इसके बाद पैकेट को सही पते पर पहुंचा दिया गया। बाद में जब इस चोरी की जानकारी कूरियर एजेंसी को दी गई तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। क्योंकि इस घटना में बहुत कम नुकसान हुआ था इसलिए प्रेषक ने भी ज्यादा दिलचस्पी नहीं ली।

[4] रेलवे मेल सर्विस

लेखा योग क्या है:

'लेखा-योग' के प्रत्येक अंक में एनजीओ नियमन या लेखांकन से संबंधित किसी खास मुद्दे को उठाया जाता है और उसे 5,000 गैर-सरकारी संगठनों, एजेंसियों और ऑडिट कंपनियों को भेजा जाता है। अगर कार्यशालाओं या एनजीओ न्यूजलैटर्स में गैर-व्यावसायिक कामों के लिए 'लेखा-योग' का पुनर्प्रकाशन या वितरण किया जाता है तो अकाउंटएड को कोई एतराज नहीं है बशर्ते आप इस बात का उल्लेख कर दें कि आपने यह सामग्री 'लेखा-योग' से ली है।

अंग्रेजी में लेखा-योग:

लेखा-योग अंग्रेजी में 'अकाउंटेबल' के नाम से उपलब्ध है।

कानून की व्याख्या:

यहां कानून की जो व्याख्या दी गई है वह काफी सामान्य स्तर पर है। कोई भी अहम फैसला लेने से पहले अपने सलाहकारों से बात जरूर करें।

इंटरनेट पर लेखा-योग:

'लेखा-योग' के कुछ चुने हुए अंक हमारी वेबसाइट - www.AccountAid.net. पर उपलब्ध हैं। लेखायोग के नए अंकों की अपलोडिंग के बारे में ई-मेल से जानकारी हासिल करने के लिए lekhayog-subscribe@topica.com. पर एक ई-मेल भेजें। इसके बाद पुष्टि के लिए टॉपिका आपको एक मेल भेजेगी। अपनी सदस्यता चालू करवाने के लिए इस मेल का उत्तर दें।

अकाउंटएड कैप्सूल:

इसमें एनजीओ लेखांकन और इससे जुड़े मुद्दों से संबंधित जानकारियां दी जाती हैं। इसकी सदस्यता लेने के लिए accountaid-subscribe@topica.com. पर ई-मेल भेजें। इसके बाद पुष्टि के लिए टॉपिका आपको एक मेल भेजेगी। अपनी सदस्यता चालू करवाने के लिए इस मेल का उत्तर दें।

इंटरनेट पर आपके खाते:

आपके खातों का सार-संकलन करके उन्हें इंटरनेट पर प्रकाशित किया जा सकता है। इसके अलावा उन्हें आप अपनी सालाना रिपोर्ट में भी शामिल कर सकते हैं। इस के उदाहरण www.AccountAid.net. पर देखें। और ज्यादा जानकारी के लिए accountaid@gmail.com पर हमें लिखें।

सवाल और स्पष्टीकरण?

अकाउंटएड एनजीओ लेखांकन या वित्तीय नियमन से जुड़े सवालों पर गैर-सरकारी संगठनों और उनके ऑडिटर्स को सलाह देता है। आप भी अपने सवाल ई-मेल या खत के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। आप चाहें तो फोन पर भी हमसे बात कर सकते हैं।

टिप्पणियां:

आप अपनी टिप्पणियां और सुझाव अकाउंटएड इंडिया, 55 बी, पॉकेट सी, सिद्धार्थ एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110014 पर भेज सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-26343128; फोन/फैक्स : 011-26343852;
ई-मेलः accountaid@gmail.com
अकाउंटएड इंडिया विक्रम संवत 2065 बैशाख, ईस्वी सन् मई 2008.

श्री अनिल बरनवाल द्वारा अकाउंटएड इंडिया, नई दिल्ली, फोन 26343128 के लिए मुद्रित एवं प्रकाशित तथा प्रिंटवर्कस, नई दिल्ली, फोन 26811689, 9810653101 से मुद्रित।

केवल निजी प्रसार के लिए।

tYT/rAB,CM/sAB,RS/cAB,RS/cpAB

accountaid@gmail.com